FMCG कंपनियों की क्षमताओं का आधे से भी कम उपयोग

drishtiias.com/hindi/printpdf/capacity-utilisation-of-fmcg-companies-at-less-than-half

प्रीलिम्स के लिये

FMCGs, सरकार द्वारा की गई पहलें

मेन्स के लिये

FMCG कंपनियों के प्रभावित होने के कारण

चर्चा में क्यों?

COVID-19 के प्रसार के कारण देश में **लॉकडाउन की स्थिति और 'कंटेनमेंट जोन्स' के** निर्माण के कारण **तीव्र बिकने वाली उपभोक्ता वस्तुओं (Fast Moving Consumer Goods-FMCGs) का निर्माण करने वाली कंपनियों के अधिकांश संयत्रों में विनिर्माण गतिविधियों में कमी है**।

तेजी से बिकने वाली उपभोक्ता वस्तुएँ (FMCGs)

- **FMCGs** से अभिप्राय उन उत्पादों से है, जिन्हें अपेक्षाकृत **कम कीमत पर किंतु तीव्रता के साथ बेचा जाता है** ।
- हालाँकि **FMCGs की बिक्री पर परिशुद्ध लाभ अपेक्षाकृत कम** होता है, लेकिन आम तौर पर इन वस्तुओं को **बड़ी मात्रा में बेचे जाने के फलस्वरूप इन उत्पादों पर संचयी लाभ काफी अधिक होता है** ।
- इन वस्तुओं के सामान्य उदाहरणों में **दैनिक उपयोग में आने वाली उपभोक्ता** वस्तुएँ है, जैसे- **साबुन, सौंदर्य प्रसाधन, टूथपेस्ट, शेविंग का सामान और डिटर्जेंट तथा गैर-टिकाऊ वस्तुएँ, जैसे- काँच का सामान, बल्ब, बैटरी, कागज के उत्पाद और प्लास्टिक आदि** ।

FMCG कंपनियों के प्रभावित होने के कारण:

- **कच्चा माल, वस्तुओं और श्रम की आवाजाही प्रतिबंधित होने** से, आवश्यक उत्पाद बनाने के बावजूद, **FMCGs की बिक्री प्रभावित** हुई है।
- FMCG कंपनियाँ **पहले से ही सामान्य मंदी से उबरने की कोशिश** कर रही थीं। इसलिये **केवल 20 % से 40% क्षमता उपयोग ही** कर पाना चिंता का विषय है।

- **वर्तमान संकट से निपटने** और **बाज़ार में तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने** के लिये **खाद्य और स्वच्छता वस्तुओं के उत्पादन पर ही अधिक बल** दिया जा रहा है।
- परिवहन सुविधाओं के बंद होने की वजह से **FMCGs की आपूर्ति शृंखला प्रभावित** हुई है।
- लॉकडाउन के कारण **FMCGs कंपनियों में श्रमिकों की उपस्थिति संख्या 25% तक ही** रह गई है।

पूर्व में सरकार द्वारा की गई पहलें

- भारत सरकार द्वारा **सिंगल-ब्रांड रिटेल में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)** और **मल्टी-ब्रांड रिटेल में 51 प्रतिशत FDI** को मंज़ूरी री दी गई है।
- भारत सरकार ने **उपभोक्ताओं के लिये सरल, त्वरित, सुलभ, सस्ती और समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिये एक व्यापक तंत्र** स्थापित करने पर विशेष बल देने के साथ एक **नए उपभोक्ता संरक्षण विधेयक का मसौदा** तैयार किया है।
- **वस्तु एवं सेवा कर (Goods &Service tax-GST) FMCGs उद्योग के लिये लाभकारी** है। उदाहरण स्वरूप बुनियादी खाद्य उत्पाद जैसे दूध, चावल, गेहूं और ताजी सब्ज़ियाँ 0% दर के अंतर्गत रखे गए हैं।
- GST से **FMCG क्षेत्र में लॉजिस्टिक्स को एक आधुनिक और कुशल मॉडल में परिवर्तित करने की उम्मीद** है।

आगे की राह:

- **आवश्यक वस्तुओं के खुदरा विक्रेताओं और विनिर्माताओं** ने विभिन्न सरकारी विभागों से सिफारिशें की हैं कि आवश्यक वस्तुओं का विनिर्माण और बिक्री सुचारु रूप से जारी रहे जिससे **लॉकडाउन में बंद परिवारों को आपूर्ति में कोई कमी ना आए।**
- **लोकडाउन की समाप्ति के पश्चात खुदरा और विनिर्माण कंपनियाँ चरणबद्ध तरीके से क्षमता उपयोग पर काम** कर सकती है।

स्रोत: बिजनेस स्टैण्डर्ड